**भारत सरकार**

**खान मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1161**

**16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्‍तर के लिए**

**खनन कार्यकलाप के अन्तर्गत क्षेत्र**

**1161. श्री अम्बेथ राजन:**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 3,27, 87,590 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में से कितना क्षेत्र खनन गतिविधियों में शामिल है;

(ख) क्या सरकार द्वारा वर्तमान क्षेत्र में वृद्धि किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्‍तर**

**खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल)**

(क) : भारतीय खान ब्‍यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय खनिज वार्षिकी 2011 में उपलब्‍ध सूचना के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र, जिसे लिग्‍नाइट, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिजों को छोड़कर 65 धात्‍विक और गैर धात्‍विक खनिजों के लिए प्रदान किया गया है, और अन्‍य सभी प्रमुख खनिजों जिसमें देश के 23 राज्‍य शामिल हैं, दिनांक 31.03.2011 की स्‍थिति के अनुसार 5,47,814 हैक्‍टेयर है ।

(ख) और (ग) : राज्‍य सरकारें खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज रियायत नियम, 1960 और खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के प्रावधानों के तहत विभिन्‍न खनिज रियायतें नामत: टोही परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्‍ति और खनन पट्टा प्रदान करती हैं । नई खनन रियायतें प्रदान करने से खनन प्रचालन वाले क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी । चूंकि राज्‍य सरकारें खनन रियायत प्रदान करती है, इसलिए खनन प्रचालन क्षेत्रों में होने वाली वृद्धि की सूचना का अनुमान नही लगाया जा सकता ।

\*\*\*\*\*\*